classmate
Date
Page

DATE: 10/08/2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 06 (THE UNION EXECUTIVE: PRESIDENT)
LECTURE NO. 33 (THIRTY THREE)

By, OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ
Financial Powers of President

भारतीय राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है जो इस प्रकार है-

(i) वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट) को संसद के समक्ष रखवाना।

(ii) धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है।

(iii) भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियन्त्रण होता है। वह इस निधि से आकस्मिक व्यय के लिए संसद की आज्ञा प्राप्त करने से पूर्व भी धनराशि दे सकता है। इसके लिए बाद में संसद की मंजूरी आवश्यक है।

(iv) राष्ट्रपति के अनुमति के बिना अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती।

राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ:-
Judicial Powers of President:-

(i) राष्ट्रपति विधिक सलाह उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, परन्तु यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है।

Scanned with CamScanner

(ii) अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात् दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले निम्नलिखित हैं, जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है—

(क) यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत आता है।

(ख) सैनिक न्यायालय द्वारा दंडित।

(ग) वे सारे दंड जिसका स्वरूप मृत्युदंड है।

राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ
Military Powers of President:-

(i) राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है एवं जल, थल और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है।

(ii) संसद की अनुमति से राष्ट्रपति किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा करता है।

x———x———x———x

सम्भावित प्रश्न:

राष्ट्रपति की ~~विधायी~~ वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियों का वर्णन कीजिए।

Scanned with CamScanner